पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/04 (5100)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14.04.2020

विषयः विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की द्वितीय किस्त की अनिकासित कुल ₹962.68 करोड़ (नौ अरब बासठ करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (चौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रूपये) मात्र की अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹587.40 करोड़ (पाँच अरब सतासी करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र एवं ₹375.28 करोड़ (तीन अरब पिचहत्तर करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹962.68 करोड़ (नौ अरब बासठ करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. **उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी ग्राम पंचायातों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹587.40 करोड़ (पाँच अरब सत्तासी करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र एवं ₹375.28 करोड़ (तीन अरब पिचहत्तर करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹962.68 करोड़ (नौ अरब बासठ करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे। प्रतिनिधायन मद में ग्राम पंचायत को आवंटित राशि का 90% ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में, जबकि 10% एवं अनुदान मद की राशि पंचम् राज्य वित्त आयोग के ग्राम पंचायत के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित की जायेगी।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगीः–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	इकाई		राशि (करोड़ रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।" विपत्र कोड–16–2515001980009	(i) प्रतिनिधायन	0009.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	587.40
		(ii) अनुदान	0009.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	375.28
			कुल (i एवं ii)	**962.68**
			(नौ अरब बासठ करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र	

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/04(अ०) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/04(अ०) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी